इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 अगस्त 2016—श्रावण 19, शक 1938

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016

एफ-19-13-2015-बारह-2.—मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2015) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

इन नियमों में,—

1. नियम 17 में, उप नियम (1) में, शब्द ''ग्रामीण अवसंरचना'' के स्थान पर, शब्द ''ग्रामीण अवसंरचना, पेयजल आपूर्ति योजना'' स्थापित किये जायें.

2. नियम 18 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जायें, अर्थात् :—

''(1) निधि का प्रशासन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य
3	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
6	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग	सदस्य
7	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
8	संचालक (बजट), वित्त विभाग	सदस्य-सचिव

समिति का अध्यक्ष ऐसे अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा, जो किये जा रहे अवसंरचनात्मक कार्यों के प्रकार पर निर्भर होगा.

वित्त विभाग निधि का प्रशासक होगा.''.

F 19-13-2015-XII-2,—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Gramin Avsanrachana Tatha Sadak Vikas Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Gramin Avsanrachana Tatha Sadak Vikas Niyam, 2005, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In rule 17, in sub rule (1), for the words "Rural Infrastructure", the words "Rural Infrastructure, Drinking Water Supply Scheme" shall be substituted.

2. In rule 18, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) the fund shall be administered by a Committee, which shall consist of the following, namely :–

1	Additional Secretary/Principle Secretary to Government of Madhya Pradesh, Finance Department.	Chairman
2	Secretary to Government of Madhya Pradesh, Planning, Economics and Statistics Department.	Member
3	Secretary to Government of Madhya Pradesh, Rural Development Department.	Member
4	Secretary to Government of Madhya Pradesh, Public Works Department.	Member
5	Secretary to Government of Madhya Pradesh, Tribal Welfare Department.	Member
6	Secretary to Government of Madhya Pradesh, Mineral Resources Department.	Member
7	Secretary to Government of Madhya Pradesh, Scheduled Castes Welfare Department.	Member
8	Director (Budget), Finance Department	Member-Secretary

The Chairman of the committee may co-opt such other members depending on the type of infrastructural work taken-up.

The Finance Department shall be the Administrator of the fund.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.